सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)

उद्देश्य

- अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरवर्ती (Remote) एवं अगम्य (Hard to reach) क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशिष्ट विकासात्मक जरूरतों को पूरा करना।
- स्थानीय योजनाओं की अभिसरण (Convergence) एवं भागीदारी दृष्टिकोण के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सम्पूर्ण आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराना।

योजना के मुख्य बिन्दु एवं कार्य क्षेत्र

- यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें वर्ष 2016–17 से 60 प्रतिशत राशि केन्द्रियांश एवं 40 प्रतिशत राशि राज्यांश है।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में वार्षिक कार्य योजना हेतु अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 0 से 10 किमी के दायरे में राशि रु. 6421.70 लाख (केन्द्रियांश– राशि रूपये 3853.00 लाख एवं राज्यांश राशि रूपये 2568.70 लाख) का आवंटन किया गया था। जिलों द्वारा आवंटन राशि के विरूद्ध स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। जिनमें से कुल स्वीकृत 680 कार्यों में से 86 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 440 कार्य प्रगतिरत हैं एवं 154 कार्य अप्रारंभ हैं। (श्रीगंगानगर–74, जैसलमेर–72 एवं बाड़मेर–8 कार्य अप्रारंभ हैं।)
- योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में वार्षिक कार्य योजना हेतु राज्य को वार्षिक आवंटन कुल राशि– 6087.60 लाख (केन्द्रीयांश–रूपये 3652.60 लाख राज्यांश–रूपये 2435.00 लाख) निर्धारित किया गया है।
- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नवीनतम विस्तृत दिशा–निर्देश 11.03.2020 को जारी किये गये।
- राजस्थान में 4 जिलों की 16 विकास खण्डों में क्रियान्वित की जा रही है। जो निम्न प्रकार है–

जिला	विकास खण्ड
बाड़मेर	(1) धनाऊ (2) गडरारोड, (3) रामसर (4) चौहटन, (5) सेडवा
बीकानेर	(1) खाजूवाला, (2) कोलायत
श्री गंगानगर	(1) श्रीगंगानगर, (2) रायसिंह नगर, (3) करणपुर, (4) अनूपगढ़, (5) पदमपुर, (6) घड़साना, (7) श्री विजयनगर
जैसलमेर	(1) जैसलमेर, (2) सम

राज्य को निधियों के आवंटन का मानदण्ड

1. अन्तराष्ट्रीय सीमा की लम्बाई ।
2. सीमावर्ती विकास खण्डों की जनसंख्या।
3. सीमावर्ती विकास खण्डों का क्षेत्रफल।